प्रकरण संख्या → 48/2024, GCMS = 2024/302, शिवसिंह / नायब तहसीलदार मा.ज.

20/11/24

पत्रावली पेश हुई।

मूल अपील में निर्णय हो जाने से इस स्थगन प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अत: स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर इस न्यायालय के नम्बर से कम होकर मूल अपील के संलग्न नत्थी हो।

अति. जिला कलेक्टर पाली